जिला :– अररिया, बिहार।

<u>न्यायालय– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम सह विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0 एक्ट, अररिया।</u>

उपस्थित–विनीत कुमार सिंह,

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम सह
विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0 एक्ट, अररिया।

(निर्णय तिथि–14वीं मई 2026)

(एस0टी0 वाद संख्या –1162/2011)

(रजि0 सं0–3407/2014)

(आरोप अंतर्गत धारा–147, 341, 323, 324, 307, 354, 427, 379, 504 भा0दं0सं0)

राज्य द्वारा सूचक बीबी रहमती खातुन, पे0– मो0 इसराईल
साकिन–पेचैली, थाना– पलासी, जिला–अररिया

.....सूचक।

अभियोजन पक्ष के विद्वान अधिवक्ता– 1. श्री रजानंद पासवान (अपर लोक अभियोजक)

बनाम्

(1)–मो0 शमीम, पे0– इसलाम, उम्र– 43 वर्ष (A1)

(2)–मो0 मोईन, पे0– मो0 हासीम, उम्र– 49 वर्ष (A2)

(3)–मो0 रईस, पे0– मो0 हासीम, उम्र– 64 वर्ष (A3)

(4)–नईम, पे0– मो0 हासीम, उम्र– 54 वर्ष (A4)

सभी साकिन– पेचैली, थाना– पलासी, जिला–अररिया

.....अभियुक्तगण।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता– मो0 कमरूल इसलाम, विद्वान अधिवक्ता, अररिया।

फार्म–B

प्राथमिकी की तिथि–	11.09.2005
आरोप पत्र की तिथि–	12.08.2009
आरोप का गठन की तिथि–	13.12.2011
साक्ष्य प्रारम्भ होने की तिथि–	07.01.2012
अभियोजन साक्ष्य बंद होने की तिथि–	07.04.2026
धारा 313 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत बयान की तिथि–	13.05.2026
निर्णय संरक्षित करने की तिथि–	13.05.2026
निर्णय की तिथि–	14.05.2026
दण्डादेश की तिथि, यदि है तो–	नहीं

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तिथि	जमानत पर मुक्त होने की तिथि	आरोप	दोषमुक्ति/ दोषसिद्धि	दण्ड की मात्रा	धारा 428 द0प्र0सं0 के उद्दे यों के लिये, विचारण के दौरान अभिरक्षा– अवधि
A1	मो0 शमीम	.....	07.08.2026	147, 341, 323, 324, 307, 354 427, 379, 504 भा0दं0सं0	दोषमुक्त		
A2	मो0 मोईन	.....	23.12.2006	.....DO.....	दोषमुक्त		
A3	मो0 रईस	.....	07.08.2026	.....DO.....	दोषमुक्त		
A4	नईम	.....	07.08.2026	.....DO.....	दोषमुक्त		

निर्णय

01. उपरोक्त नामित अभियुक्तगण **1. मो0 शमीम** (A1), **मोईन** (A2), **मो0 रईस** (A3), **नईम** (A4) को धारा 147, 341, 323, 324, 307, 354, 427, 379, 504 भा0दं0सं0 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध हेतु आरोपित एवं विचारित किया गया।

02. सूचक बीबी रहमती खातुन के लिखित आवेदन के अनुसार अभियोजन कथानक संक्षेप में यह है कि दिनांक– 11.09.2005 को सुबह के करीब 08:00 बजे वह दूध लेकर पश्चिम मुहल्ले से आ रही थी कि अब्दुल कुदूस, मो रईस, मो0 नईम, मो0 मोईन, मो0 इसलाम, मो मुस्लिम, मो0 शमीम, मो0 इब्राहीम, मो0 हेलाल, इसराईल एवं अन्य अज्ञात व्यक्ति हथियार से लैश होकर उसे घेर लिया और मो0 जाबिर का बेटा टाटी व घर को नोच रहा था जिसे वह रोकी तो कुदुस दबिया से उसके सिर पर जान मारने की नियत से मारा जिससे वह गम्भीर रूप से जख्मी होकर जमीन पर गिर गई। उसे बचाने जब उसका पति इसराईल आया तो सभी अभियुक्तगण मिलकर उसके साथ मारपीट किया और उसका लड़का आफताब के साथ भी मारपीट किया। नईम सूचक के कान से सोने की बाली, गले से चांदी का हार छीन लिया तथा उसके पति के हाथ से घड़ी छीन लिया। मारपीट के क्रम में अभियुक्तगण सूचिका का पहना हुआ कपड़ा भी फाड़ दिया।

03. सूचक के लिखित आवेदन के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 147, 148, 149, 341, 323, 324, 307, 379, 354, 427 भा0दं0सं0 के अंतर्गत पलासी थाना काण्ड संख्या– 139/2005 दिनांक– 11.09.2005 दर्ज किया गया। सम्यक अन्वेषण के पश्चात् अन्वेषण अधिकारी द्वारा आरोप पत्र संख्या–210/2009, दिनांक–12.08.2009 अंतर्गत धारा 147, 341, 323, 324, 307, 379, 354, 427, 504 भा0दं0सं0 में अभियुक्तगण के विरूद्ध दाखिल किया गया, जिसके आधार पर इस न्यायालय

के द्वारा दिनांक–18.12.2010 को उपरोक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र की धाराओं में ही संज्ञान लिया गया।

04. इस न्यायालय में अभियुक्तगण की उपस्थिति पूर्ण होने पर दिनांक–13.12.2011 को धारा 147, 341, 323, 324, 307, 379, 354, 427, 504 भा0दं0सं0 के अंतर्गत आरोप का गठन कर उसे हिन्दी में पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया, जिससे उसने इन्कार किया तथा विचारण का दावा किया।

05. अभियोजन द्वारा अपनी ओर से कुल 02 मौखिक साक्षियों का साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में किसी प्रकार का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। दिनांक–07.04.2026 को अभियोजन अधिकारी के निवेदन पर अभियोजन साक्ष्य बंद कर दिया गया तथा दिनांक–13.05.2026 को धारा 313 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत अभियुक्त का बयान दर्ज किया गया, जिमसें उसने स्वयं को निर्दोष बताया है।

06. दिनांक–13.05.2026 को बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के निवेदन पर सफाई साक्ष्य बंद कर दोनों पक्षों का बहस सुना गया। दिनांक–13.05.2026 को दोनों पक्षों का बहस पूर्ण हुआ।

07. अब न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन अपने द्वारा लगाये गये आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है ?

:– मंतव्य –:

08. अभियोजन द्वारा अपने कथानक के समर्थन में 02 मौखिक साक्षियों **PW-01** बीबी रहमती खातुन (सूचक), **PW-02** इसराईल का साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। इसके विपरीत बचाव पक्ष द्वारा कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

09. सर्वप्रथम सूचक बीबी रहमती खातुन (**PW-01**) के साक्ष्य का विश्लेषण किया जायेगा। उन्होने अपने मुख्य परीक्षण में यह कथित किया है कि यह केस उसने ही किया है। घटना 09 वर्ष पूर्व की सुबह के 09 बजे की है। वह दक्षिण टोला से दूध लेकर आ रही थी, रास्ते में अब्दुल कुद्दुस उसे घेर लिया, वह दौड़कर भागी और गिर गई जिससे वह जख्मी हो गई। इस साक्षी नें अभियोजन कथानक का पूर्णतः समर्थन नहीं किया, फलस्वरूप विद्वान अपर लोक अभियोजक की प्रार्थना पर साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया। अभियोजन द्वारा उक्त साक्षी का प्रतिपरीक्षण भी किया गया परन्तु प्रतिपरीक्षण से भी अभियोजन के पक्ष में कोई तथ्य प्रमाणित नहीं हुआ।

10. **PW-02** इसराईल जो सूचक का पति तथा कथित जख्मी साक्षी है, नें अपने मुख्य परीक्षण में कथित किया है कि यह केस उसकी पत्नी नें किया है। घटना का बीस साल हो गया है। घटना भोर का था। सभी अभियुक्तगण को पहचानता है। बांया हाथ

पर उसे चोट लगा था। ईलाज पलासी में कराया था। मेरी पत्नी को कपार में चोट लगा था, उसका भी ईलाज पलासी में हुआ था।

उक्त साक्षी नें अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि अभियुक्तगण से राजी–खुशी से मेल–मिलाप हो गया है। झगड़ा में धक्का–मुक्की में गिर गया था, जिससे चोट लगा था। सोने का बाली, हार और घड़ी भी उसे मिल गया है। अभियुक्तगण गांव का है, इसलिए पहचानता है।

:– निष्कर्ष–:

11. दोनों पक्षों को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभियोजन की तरफ से विद्वान लोक अभियोजक का तर्क यह है कि अभियोजन के दोनों साक्षियों ने दोनों पक्षों के बीच सुलह हो जाने के कारण सुलह के आधार पर अपना साक्ष्य दिया है।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का भी कथन है कि तथ्य के दोनों गवाहों नें अपने बयान में घटना का समर्थन नहीं किया है तथा दोनों पक्षों के बीच राजी खुशी से सुलह हो गई है और सुलहनामा भी न्यायालय में दाखिल है। सूचक नें भी अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया तथा अभियोजन द्वारा उसे पक्षद्रोही घोषित किया गया है। इस वाद में अभियोजन अनुसंधानकर्ता एवं चिकित्सक सहित अन्य सुसंगत साक्षियों का साक्ष्य कराने में असफल रहे हैं। दोनों पक्षों में समझौता हो गया है। अतः अभियुक्तगण दोषमुक्त किए जाने योग्य है।

12. अभियुक्तगण पर धारा 147, 341, 323, 324, 307, 379, 354, 427, 504 भा0दं0सं0 का आरोप लगाया गया है। दोनों पक्षों के मध्य समझौता हो गया है। दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित तथा उनके अधिवक्ता द्वारा सत्यापित समझौता आवेदन अभिलेख पर उपलब्ध है। सूचक सहित किसी भी अभियोजन साक्षी नें अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है। अभियोजन साक्षी संख्या–02 जो सूचक का पति तथा कथित जख्मी साक्षी है, नें भी कथित करते हुए कहा है कि धक्का–मुक्की में वह गिर गया था तथा सोना और चांदी का जेवर उसे मिल गया था और उसनें अभियुक्तगण के साथ सुलह कर लिया है। इस प्रकार अभियोजन इस वाद को युक्तियुक्ति संदेहों से परे साबित करने में पूर्णतः असफल रही है।

–: आदेश :–

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों तथा सुलहनामा के परिशीलन व तार्किक विश्लेषण के उपरांत यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुचती है कि अभियोजन अभियुक्तगण 1. मो0 शमीम, पे0– इसलाम, उम्र– 43 वर्ष (A1) 2. मो0 मोईन, पे0– मो0 हासीम, उम्र– 49 वर्ष (A2), 3. मो0 रईस, पे0– मो0 हासीम, उम्र– 64 वर्ष (A3) एवं 4. नईम, पे0– मो0 हासीम, उम्र– 54 वर्ष (A4) के विरूद्ध धारा 147, 341, 323, 324, 307, 379, 354, 427, 504

भा0दं0सं0 के दण्डनीय अपराध के आरोप से पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया जाता है तथा उनके जमानतदारों को जमानत के बंधपत्र के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है। कार्यालय लिपिक को यह निर्देश दिया जाता है कि वह नियत समय के भीतर अभिलेख को अभिलेखागार में जमा करें तथा निर्णय की एक प्रति जिला पदाधिकारी, अररिया को प्रेषित करें।

sd/-

(विनीत कुमार सिंह)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम
सह विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट,
अररिया। दिनांक–14.05.2026

यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित, शुद्धिकृत करके खुले न्यायालय में उभय पक्षों की उपस्थिति में उद्घोषित किया गया।

ह0/–
(विनीत कुमार सिंह)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम
सह विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट,
अररिया। दिनांक–14.05.2026

फार्म–स

अभियोजन पक्ष के साक्षियों की सूची :–

अभियोजन पक्ष के साक्षी–

साक्षी की श्रेणी	नाम	साक्षी की प्रकृति
अभियोजन साक्षी सं0–1	बीबी रहमती खातुन(सूचक)	प्रत्यक्षदर्शी
अभियोजन साक्षी सं0–2	इसराईल	प्रत्यक्षदर्शी

अभियोजन पक्ष के द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में एक भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है:–

क्रमांक	दस्तावेज	प्रदर्श
01	.....	.....

2–बचाव पक्ष के प्रदर्श– बचाव पक्ष द्वारा कोई भी मौखिक या दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ह0/–

(विनीत कुमार सिंह)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम
सह विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट,
अररिया। दिनांक–14.05.2026